न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्याः 25/2011एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2011/00030

1. होम एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लि. जरिए डायरेक्टर नीरू सहगल पत्नि अरूण सहगल एच–22, बाली नगर, नई दिल्ली जरिये मु.खा. मनोज सहगल पुत्र श्री के.के. सहगल निवासी सी–112, कीर्ति नगर, नई दिल्ली।

—— अपीलांट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार बीकानेर।

—— रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः श्री संतनाथ योगी — अभिभाषक अपीलांट
मो. इम्तियाज अली — राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 15.07.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर के आदेश दिनांक 14.07.2008 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई। अपील के संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है कि –

1– विवादित भूमि वाके रोही जालवाली तहसील बीकानेर के ख.नं. 194 तादादी 6.52 हैक्टेयर, ख.नं. 1440 तादादी 4.75 हैक्टेयर एवं ख.नं. 1511/1440 तादादी 1.58 हैक्टेयर कुल तादादी 12.85 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि है। अपीलांट ने उक्त भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 05.10.2007 को क्रय की, जिसका अपीलांट के नाम नामान्तरकरण सं. 253 ग्राम पंचायत जालवाली द्वारा दर्ज कर दिया गया। उक्त इंतकाल संख्या 253 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील की, जिस पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2008 पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन भूमि के प्रतिबंधित क्षेत्र की होने के कारण बिना संबंधित मजिस्ट्रटे की अनुमति के दर्ज अपीलाधीन इंतकाल को निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2008 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि विवादित भूमि बाबत दर्ज इंतकाल संख्या 253 वैध बैयनामें के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा दर्ज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने बैयनामें के आधार पर दर्ज उक्त इंतकाल को निरस्त कर दिया, जो कि कानूनी रूप से गलत है। उक्त इंतकाल रजिस्टर्ड बैयनामें के आधार पर दर्ज था। अतः इंतकाल को निरस्त किये जाने से पूर्व अपीलाधीन बैयनामें को निरस्त करवाना चाहिये था, जो कि रेस्पोडेन्ट ने नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन इंतकाल को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम एवं ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट में भूमि विक्रय पर कोई प्रतिबंध नहीं होने के बावजूद दाण्डिक विधि संशोधन अधिनियम को आधार बनाकर बिना माईण्ड एप्लाई किये अपीलाधीन आदेश पारित कर कानूनी भूल की है, जो खिलाफ कानून होने से काबिले खारिज है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर सत्यमेव जयते

3– विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2008 नियमानुसार कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए पारित किया है। दाण्डिक विधि संशोधन अधिनियम, 1961 के तहत भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना 29–ई दिनांक 12.03.1996 में जिला बीकानेर के पुलिस थाना क्षेत्र पूगल को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया हुआ है तथा संबंधित मजिस्ट्रेट की बिना अनुमति के ऐसे क्षेत्र में प्रवेश किया जाना गैरकानूनी है। अपीलांट ने बिना सक्षम मजिस्ट्रेट की अनुमति के प्रतिबंधित क्षेत्र में भूमि क्रय की व विक्रयनामा करवाया हैं जो कि गैरकानूनी है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

4– हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2008 पारित करते हुए अपीलाधीन इंतकाल संख्या 253 को न्यायसंगत नहीं होने के कारण निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने दाण्डिक विधि संशोधन अधिनियम, 1961 के तहत भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना 29–ई दिनांक 12.03.1996, जिसके द्वारा जिला बीकानेर के पुलिस थाना क्षेत्र पूगल को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया हुआ है तथा ऐसे क्षेत्र में संबंधित मजिस्ट्रेट की

संभागीय आयुक्त बीकानेर

बिना अनुमति के क्रय किया जाना गैरकानूनी माना जाता है, को आधार मानते हुए अपीलाधीन इंतकाल संख्या 253 को निरस्त कर दिया, जो कि न्यायोचित है। उक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2008 सही एवं न्यायसंगत होने के कारण अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है।

5– तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 15.07.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/7/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर